

प्रपत्र-4

(देखे विनियम 6 का उपबन्ध 1 (ग) 2 (क) एवं 3(क))
राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-1

संख्या- 860/71-आयुष-1-2016-329/2015
लखनऊ दिनांक 05 मार्च, 2016

सेवा में,

सचिव,

श्री माधोदास मेमोरियल शिक्षण संस्था
42/154 बिल्लोचपुरा, जिला-आगरा।

विषय: एम0डी0 आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल, बाबरपुर, सिकन्दरा, जिला-आगरा, उ0प्र0 के अन्तर्गत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज में बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम 60 सीट के साथ स्थापित/संचालित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ: सचिव, श्री माधोदास मेमोरियल शिक्षण संस्था 42/154 बिल्लोचपुरा, जिला-आगरा का पत्र दिनांक 08.06.2015

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है:-

1. राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या-08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा निजी क्षेत्र में 14 मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक कालेज।
2. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या-1550 (स्नातक स्तर)
3. राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या-37280
4. राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या-2424
5. राज्य विशेष रूप ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या-871
6. राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या-सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराते हैं।
7. राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं-जनसंख्या का अनुपात-1 : 3900
8. चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आयेगा-आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/स्नातक (बी0ए0एम0एस0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोपरान्त व्याधियों (रोगों) को दूर कर मानव शक्ति को सुदृढ़ करना है।
9. छात्र जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें-राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश सी0पी0एम0टी0 से चयनोपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से होता है।
10. प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/नया बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने

...2/-

(2)

के लिए पूर्ण औचित्य-योग्य चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक तैयार करना।
11. प्राप्य आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्सक जनसंख्या अनुपात-निर्धारित नहीं।

सचिव, श्री माधोदास मेमोरियल शिक्षण संस्था 42/154 बिल्लोचपुरा, जिला-आगरा ने जनपद आगरा, उ०प्र० में एम०डी० आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल, बाबरपुर, सिकन्दरा, जिला-आगरा, उ०प्र० आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक को एम०डी० आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल, बाबरपुर, सिकन्दरा, जिला-आगरा, उ०प्र० के अन्तर्गत 60 सीटों के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित/बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है तथा यह भी अपेक्षा की गयी है कि उक्त संस्था सी०सी०आई०एम० के मानकानुसार समस्त संसाधनों की पूर्ति कर लेगी-

यह प्रमाणित किया जाता है कि
(क) आवेदक के पास 60 शैय्याओं वाला अस्पताल है।
(ख) आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम (60 सीट) प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है।

(ग) सचिव, श्री माधोदास मेमोरियल शिक्षण संस्था 42/154 बिल्लोचपुरा, जिला-आगरा ने जनपद आगरा में एम०डी० आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल, बाबरपुर, सिकन्दरा, जिला-आगरा, उ०प्र० के अन्तर्गत आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना/60 सीटों के साथ बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

संख्या- 860 (1)/71-आयुष-1-2016-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- सचिव, सी०सी०आई०एम०, जनकपुरी, नई दिल्ली।
 - 2- सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 - 3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4- कुल सचिव, डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
 - 5- निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, उ०प्र० लखनऊ।
 - 6- निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) उ०प्र०, लखनऊ।
 - 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।